सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

**F. No. NCST-16011(MP)/79/2021-RO-Bhopal (ESDW)** **Dated: 10.05.2023**

**To,**

1. **The Principal Chief Conservator of Forest,**
Government of Madhya Pradesh,
O/o Principal Chief Conservator of Forest,
Satpura Bhawan, Arera Hills, Bhopal-462004,
Madhya Pradesh
E-Mail: pccfmp@mp.gov.in

2. **The Collector and District Magistrate,**
District Dhar,
Collector Office,
Dhar – 454001, Madhya Pradesh
E-mail : dmdhar@nic.in

3. **The Divisional Forest Officer,**
Dhar Division,
O/o Divisional Forest Officer,
Dhar, Madhya Pradesh
E-Mail: dfodhar@mpforest.org

**विषय:** तलावपाडा गांव की जमीन को किसानों को दिलाए जाने के सम्बंध में श्री छगन बारीया एवं अन्य, ग्राम तलावपाडा, तहसील सरदारपुर, जिला- धार, मध्य प्रदेश का दिनांक 23.03.2021 का अभ्यावेदन दिनांक 21.04.2023 को आयोजित आयोग के जांच दल की स्थलीय जांच रिपोर्ट।

**Sir/Madam,**

I am directed to enclose a copy of the Field Visit Report of the Investigation Team consisting of Shri Ankit Kumar Sen, Research Officer, Ms. Ankita Solanki, Senior Investigator and Shri Avinash, Legal Consultant, National Commission for Scheduled Tribes constituted to investigate the matter cited above.

2. In this regard, it is requested that action taken/to be taken on the recommendations/finding made in the Report may please be sent **within 15 days** from the receipts of this letter for placing the same before the Hon'ble Commission.

**Encl: As above**

**Yours faithfully,**

Miranda Ingudam

**(Smt. Miranda Ingudam)**
**Director**

**Copy for information to: -**

1. **Shri Chhagan Bariya,**
Village Tavaalpaada,
Tehsil- Sardaarpur,
District-Dhar,
Madhya Pradesh

2. NIC CELL, NCST.

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
## फाइल क्रमांक. NCST/16011(MP)/79/2021-RO-BHOPAL-ESDW
## मध्यप्रदेश जिला धार के ग्राम तलावपाड़ा में किए गए दौरे का विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देशानुसार श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी, सुश्री अमृता सोलंकी, वरिष्ठ अन्वेषक, श्री अविनाश,विधिक सलाहकार द्वारा दिनांक 21.04.2023 को मध्यप्रदेश,जिला धार के ग्राम तलावपाड़ा में शिकायतकर्ता छगन बारिया एवं अन्य ग्रामीणो द्वारा खरमोर अभ्यारण के लिए निजी पट्टे की जमीन वन विभाग द्वारा लिए जाने की शिकायत की स्थलीय जांच की गयी।

### आयोग को प्राप्त शिकायत के तथ्य

दिनांक 23.03.2021 को शिकायतकर्ता छगन बारिया, निवासी ग्राम तलावपाड़ा व अन्य द्वारा एक लिखित शिकायत आयोग को प्रस्तुत की गयी। उक्त शिकायत में लेख है कि पिछले 20 वर्षो से खरमोर अभ्यारण के नाम पर वन विभाग द्वारा निजी पट्टे की भूमि छीन ली गयी है। इस मामले की छानबीन करवा कर न्याय दिलवाने हेतु आयोग से प्रार्थना की गयी।

### आयोग द्वारा पूर्व में की गयी कार्यवाही का विवरण

1. दिनांक 13.01.2023 आयोग द्वारा झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह तथा झाबुआ पुलिस अधीक्षक अगम जैन को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया।
2. दिनांक 16.01.2023 को झाबुआ पुलिस अधीक्षक तथा दिनांक 18.01.2023 को झाबुआ कलेक्टर द्वारा आयोग के नोटिस का उत्तर दिया।
3. दिनांक 28.03.2023 को झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह तथा झाबुआ पुलिस अधीक्षक अगम जैन को सम्मन भेजा गया।
4. दिनांक 10.04.2023 आयोग की सुनवाई में शिकायतकर्ता एवं झाबुआ पुलिस अधीक्षक उपस्थित हुये।
5. सुनवाई में प्रस्तुत तथ्यो के आधार पर आयोग के माननीय सदस्य द्वारा स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिये गये।
6. आयोग द्वारा तीन सदस्यी जांच दल का गठन किया गया।

**जांच दल द्वारा की गयी कार्यवाही :**

दिनांक 21.04.2023 को जांच दल ग्राम तलावपाड़ा में संबन्धित भूमि पर निरीक्षण करने पहुंचा, जहाँ स्थल पर स्पष्ट तौर पर वन विभाग की बाड़ दिखाई पड़ती है। बाड़ की एक जगह पर जाली को हटा कर वर्तमान में निजी पट्टे की भूमि पर जाने हेतु पट्टेदारों को रास्ता दिया गया है।

2. जिस भूमि पर प्रार्थी व ग्रामीणों द्वारा अपनी पट्टे की भूमि बताया गया है, जांच दल उक्त स्थान पर पहुँचा। भूमि पर बबूल की झाड़ियाँ हैं जिनमें से कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी बबूल 10-11 वर्ष पुराने होने की पुष्टि उपस्थित ग्रामीणों तथा वन विभाग के कर्मचारियों ने की। यह दर्शाता है कि उक्त भूमि पर जब तक खेती हुई होगी, बबूल के पेड़ खेत के आसपास रहे होंगे और खेती बंद होने के बाद ही सम्पूर्ण भूमि पर बबूल उगे होंगे। इसी लिए उनकी उम्र 10-11 साल होने की पुष्टि हो रही है।

3. उक्त भूमि स्थानीय नाले के समीप है जिसका पानी कृषि हेतु लिया जाना ग्रामीणों द्वारा बताया है जो यह पुष्टि करता है कि वन विभाग द्वारा लगायी गयी तार की सीमा के पूर्व वहाँ कृषि कार्य होता रहा होगा। उपस्थित ग्रामीणजनों द्वारा बताया गया कि वह इस स्थान पर खेती करते थे और 12 वर्षो से स्थान में खेती नहीं होने से जमीन कठोर हो गयी है।

4. जांच दल ने स्वयं विवादित भूमि का अवलोकन किया। उक्त भूमि एवं आसपास की अन्य भूमि में अंतर स्पष्ट प्रतीत होता है। यह अंतर जाँच-दल द्वारा लिए उपरोक्त छायाचित्रो में भी स्पष्ट देखा जा सकता है।

## जांच दल का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

1. प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वन विभाग द्वारा पिछले कई वर्षो से खरमोर अभ्यारण के अंतर्गत भूमि पर तार की सीमा बनाई गयी जिसके कारण ग्रामीण अपनी निजी पट्टे की भूमि पर नहीं जा पाये। ऐसे में हुये नुकसान का मुआवजा दिया जाना आवश्यक है।

2. पुनः विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए वन विभाग की उपस्थिति में सभी पट्टेदारों की भूमि का सीमांकन राजस्व द्वारा कर दिया जाए।

3. चूंकि वर्तमान विवादित स्थिति प्रशासन की कार्यवाही से उत्पन्न हुई है, अतः सीमांकन शुल्क का अतिरिक्त भार प्रार्थी पट्टेदारों पर न आए, इसकी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाये।

4. वर्तमान में निजी पट्टों पर पहुँच मार्ग (access road) उबड़-खाबड़ एवं कम चौड़ा है। उक्त मार्ग में इतना चौड़ा स्थान दिया जाए जिससे कृषि कार्य हेतु आवश्यक उपकरण सरलता से कृषि भूमि तक ले जाये जा सकें ।

5. लंबे अंतराल से कृषि नहीं हो पाने के कारण भूमि कठोर हो चुकी है। इसे ग्रामीणो के लिए कृषि-योग्य बनाने हेतु आवश्यक उपकरण एवं तकनीकी सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

| (अंकित कुमार सेन) | (अमृता सोलंकी) | (अविनाश) |
|---|---|---|
| अनुसन्धान अधिकारी | वरिष्ठ अन्वेषक | विधिक सलाहकार |